

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई सेट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज मे  
ग्राम: कुमरांगखुर्द थाना: टंडवा, थाना सं: 51, जिला :- चतरा, (झारखण्ड) के भूमि  
जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO संख्या. 1381 दिनांक.  
10.5.2003 के तहत रैयती भूमि के वृक्षो की मुआवजा प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।  
जिसका विवरण निम्नवत है।

| अधिसूचना सं.                | भूमि का प्रकार | सत्यापित भूस्वामी   | खाता सं. | प्लॉट सं. | सत्यापित रकवा (एकड़ में) | सत्यापित भूमि पर वृक्षों संख्या | खतियानी रैयत का नाम (खतियान के अनुसार) |
|-----------------------------|----------------|---|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 1381<br>दिनांक<br>10.5.2003 | रैयती          | सुखदेव साव पिता छेदी साव  | 3        | 6         | 0.13                     | 61                              | काशी महतो<br>पिता गणेश महतो            |
|                             |                | यदुनन्दन साव पिता छेदी साव  | 3        | 6         | 0.105                    | 20                              |  |
|                             |                | रघुवीर साव पिता छेदी साव  | 3        | 6         | 0.14                     | 21                              |  |
|                             |                | रेवा साव पिता चान्दो साव  | 3        | 6         | 0.34                     | 29                              |  |
|                             |                | मन्नु साव पिता चान्दो साव   | 3        | 6         | 0.36                     | 21                              |  |
|                             |                | शंभू साव पिता नान्दो साव  | 3        | 6         | 0.01                     | 10                              |  |
|                             |                | देवनारायण साव पिता नान्दो साव   | 3        | 6         | 0.03                     | 17                              |  |
|                             |                | तेजनारायण साव पिता नान्दो साव   | 3        | 6         | 0.03                     | 12                              |  |
|                             |                | छेदी साव पिता काशी साव, शंभू साव एवं अन्य पिता नान्दो साव एवं रेवा साव एवं अन्य पिता चान्दो साव | 3        | 6         | 0.87                     | 85                              |  |
| कुल                         |                |   |          |           | 2.015                    | 276                             |  |

अगर उक्त वृक्षों की मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि के सत्यापित भूस्वामी पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्तिही तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाईट

[http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_emplo\\_lnd.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_emplo_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में परियोजना पदाधिकारी कार्यालय आम्रपाली परियोजना, महाप्रबंधक कार्यालय आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची किसी के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना सं: 51 ; जिला :- टंडवा, (रैयती), खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं° 6 , कुल सत्यापित रकवा 2.015 एकड़, (रैयती) खाता जो क्रमशः सुखदेव साव पिता छेदी साव, यदुनन्दन साव पिता छेदी साव, रघुवीर साव पिता छेदी साव, रेवा साव पिता चान्दो साव , मन्नु साव पिता चान्दो साव , शंभू साव पिता नान्दो साव , देवनारायण साव पिता नान्दो साव , तेजनारायण साव पिता नान्दो साव एवं छेदी साव पिता काशी साव, शंभू साव एवं अन्य पिता नान्दो साव एवं रेवा साव एवं अन्य पिता चान्दो साव जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि मे वृक्षों के -मुआवजा प्रस्ताव तथा भूमि का सत्यापित भूस्वामी पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd /-)

मणिल राम

22-१-२०२२

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)  
सी.सी.एल, राँची

22/01/2022

22/01/2022